

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा नरेश सिंह विपक्षी नरेश सिंह
 ति १६ पत्रावली संख्या ४४/२१ सन् _____

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>२१/१/२३</u> पत्रावली पेश की गई। प्रमाण पत्र ३६/ जा.पत्र ०/११०८८८ पर वरिष्ठ प्रतीति ३६/ प्रमाण पत्र ०/११०८८८ १०००/- १०४६६६६६६ की रकम पर प्रतीति ३६/ जा.पत्र ०/११०८८८ की राशि, शक्यता से लमा करावे। प्रमाण पत्र ३६/१०४६६६६६ प्रमाण पत्र ३६/ जा.पत्र ०/११०८८८ की राशि प्रमाण पत्र ३६/ जा.पत्र ०/११०८८८ की राशि प्रमाण पत्र ३६/ जा.पत्र ०/११०८८८ की राशि</p>	
	<p><u>२५/१/२३</u> कार्यवाही/ प्रतिवादी उप./ सं. सि. फ. / जवाब / तलबी के लिये मौका चहते हैं। अतः <u>अंतिम</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>०६/०१/२३</u> को पेश हो।</p>	<p><u>SDO मावली</u> सं. सि. फ. / जवाब / तलबी <u>अंतिम</u> <u>१७/०३/२३</u></p>
	<p><u>१९/३/२३</u> आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आपेक्षानुसार दिनांक.... ...<u>०२/६/२३</u>..... को पेश हो।</p>	<p><u>SDO मावली</u></p>



20/4/23

पत्रावली तलब के अंतर्गत गावों के संबंध
अभियान के अंतर्गत जाने से पत्रावली
में अधिवक्ता को पत्रावली किया जाकर
पत्रावली को कोयला
दिनांक 14/6/23 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO मावली

14/6/23

पत्रावली आज केंद्र पेश हुई।
प्रकरण में पत्रावली के मध्य राज-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक 11/9/23 को
पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO मावली

20/6/23

मिशनरिडि

Harvindh Singh

~~मिशनरिडि~~

जागा कुंवा

सर्वेताकवर

~~मिशनरिडि~~

11/7/23

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण द्वारा तलबी
मय विद्रो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता
प्रार्थी द्वारा प्रार्थी सं. 5 फौज होने से प्र. पत्र 022 R3 CPC
का पेश किया, शा. फा. रहे। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्र. पत्र
स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः कोई
आपत्ति नहीं होने से प्रार्थी का प्र. पत्र 022 R3 CPC का न्यायहिण्ड
में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 5/1 से 5/4 के रूप में पक्षकार
बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा
संबोधित बर्षिक मय प्रार्थी सं. 5/1 से 5/4 की ओर से वाद में
वकालत नामा पेश किया। सं. बर्षिक शा. फा. रहे। अधिवक्ता
प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र लिखी
का पेश कर पक्षकारानु के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने
से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को
इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण
की पहचान (उनके अधिवक्ता द्वारा की गई) अतः प्रार्थीगण
अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को
भाग्य चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण
को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाजा है। पूर्व में जारी अन्तरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा टूटाई जाली है। पत्रावली फैसल सुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
SDO मावली